

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 20.07.2024

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मारपीट करना, गाली-गलौज करना, धमकी देने, छेड़खानी करने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भूपियामऊ चौराहे के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.06.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत वादी की पुत्री के साथ मारपीट करना, गाली-गलौज करना, जान से मारने की धमकी देने, छेड़खानी कर दुष्कर्म करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर धारा 323, 504, 506, 354, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ बनाम पवन कुमार पाल पुत्र राजकुमार पाल निवासी बोधी पाण्डेय का पुरव खजुरनी थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 विमल कुमार, का0 मलखान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर, दिनांक 20.07.2024 को धारा 323, 504, 506, 354, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त पवन कुमार पाल पुत्र राजकुमार पाल निवासी बोधी पाण्डेय का पुरव खजुरनी थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के भूपियामऊ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पवन कुमार पाल पुत्र राजकुमार पाल निवासी बोधी पाण्डेय का पुरव खजुरनी थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 विमल कुमार, का0 मलखान थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत बन्दी पट्टी नौडेरा में गाली-गलौज करने, मारपीट करना, हत्या करने के प्रयास से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना क्षेत्रान्तर्गत फतनपुर के ग्राम बन्दी पट्टी में तालाब के पास आम के पेड़ के नीचे से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.07.2024 थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत बन्दी पट्टी नौडेरा में वादिनी एवं परिवारजनों को घर में घुस कर विपक्षीयण द्वारा एक राय होकर गाली- गलौज करते हुए लाठी- डण्डा एवं धारदार हथियार से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के संबंध वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 333, 117(2), 109 बीएनएस बनाम 07 नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी फतनपुर के नेतृत्व उ0नि0 शेषनाथ यादव मय हमराह उ0नि0 विकाश निषाद हे0का0 पंकज कुमार, का0 दशरथ पटेल, का0 दीपक राजभर, का0 कुशल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. रियासत अली(गुड्डू) पुत्र इन्सान अली निवासी 02. सिन्धवाज अली उर्फ राशिद पुत्र इफाजत अली 03. मो0 रसीद अली पुत्र इमतियाज अली निवासीगण ग्राम बन्दी पट्टी (नौडेरा) थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के ग्राम बन्दी पट्टी में तालाब के पास आम के पेड़ के नीचे से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रियासत अली(गुड्डू) पुत्र इन्सान अली निवासी ग्राम बन्दी पट्टी (नौडेरा) थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. सिन्धवाज अली उर्फ राशिद पुत्र इफाजत अलीनिवासी ग्राम बन्दी पट्टी (नौडेरा) थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ .

03. मो0 रसीद अली पुत्र इमतियाज अली निवासी ग्राम बन्दी पट्टी (नौडेरा) थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विकाश निषाद हे0का0 पंकज कुमार, का0 दशरथ पटेल, का0 दीपक राजभर, का0 कुशल यादव थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय , जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना बाघराय पुलिस द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करना जान से मारने की धमकी देना एवं हत्या का प्रयास करने से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना क्षेत्रान्तर्गत बढईपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किये गये 03 अभियुक्त

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.07.2024 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत बंशियारा में वादिनी के घर के सामने खडंजा बिछाया जा रहा था, पुरानी रंजिश को लेकर हमारे पडौंसियों द्वारा एक राय होकर गाली- गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा, कुल्हाडी मार-पीट किए जिससे मेरे पति गंभीर रूप से घायल हो जाने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0 242/2024 धारा 352, 351(2), 351(3),115(2), 109 बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी बाघराय के नेतृत्व में उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अंशु प्रजापति, का0 रविन्द्र यादव, का0नितिन कुमार द्वारा विवचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से संबंधित 03 वांछित, 01. देशराज सिंह उम्र 59 वर्ष 02. रामसुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह उम्र 50 वर्ष 03. गुलाब सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्रगण राजबली सिंह निवासीगण बंशियारा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र बढईपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. देशराज सिंह उम्र 59 वर्ष पुत्र राजबली सिंह निवासीबंशियारा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।
02. रामसुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र राजबली सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।
03. गुलाब सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र राजबली सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० अमित द्विवेदी मय हमराह का० अंशु प्रजापति, का० रविन्द्र यादव, का०नितिन कुमार थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज , जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा लालगंज कालाकाकर रोड HDFC बैंक के सामने गाली- गलौज करना, मारपीट करना, हत्या करने का प्रयास से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र नगर चौराहे के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.07.2024 को वादी अपने रिश्तेदारों के साथ मनगढ़ मंदिर घूमकर वापस आते समय थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा लालगंज कालाकाकर रोड HDFC बैंक के सामने 5-6 व्यक्तियों ने वादी की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी, जिस पर वादी द्वारा पूछने पर गाली- गलौज करने लगे मना करने जान से मारने की नियत से गमछा से गला दबा देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु०अ०सं० 285/2024 धारा 191(2), 109, 115(2), 352, 351(3) बनाम 01 नामजद व्यक्ति व 4-5 अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह का० ऋषिकान्त इन्दौलिया, हो०गा० सर्वेश पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आकाश सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी शीतलमऊ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र राजेन्द्र नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

आकाश सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी शीतलमऊ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह का० ऋषिकान्त इन्दौलिया, हो०गा० सर्वेश पाण्डेय थाना लालगंज,
प्रतापगढ़ ।